भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1317

जिसका उत्तर 03 मार्च, 2016 को दिया जाना है ।

किसानों को मुआवजा

1317. श्री अजय मिश्रा टेनीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकारी और गैर-सरकारी विद्युत परियोजनाओं हेतु अधिगृहीत भूमि के लिए किसानों को मुआवजा प्रदान किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ताप/जल विद्युत परियोजनाओं के लिए अधिगृहीत भूमि के लिए उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में किसानों को कोई मुआवजा प्रदान किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख): जी हां। समय-समय पर संशोधित भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विद्युत परियोयेाजनाओं के निर्माण के लिए अधिगृहित भूमि हेतु राज्य सरकारों द्वारा सीधे भू-स्वामियों को मुआवजे का भुगतान किया जाता है।

(ग) और (घ): विद्युत मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट (यूएमपीपी) के साथ-साथ ताप/जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में भू-स्वामियों को भुगतान किये गये मुआवजे के ब्यौरे अनुबंध में दिये गये हैं।

******

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 03.03.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1317 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (ग) और (घ) में उल्लिखित अनुबंध।

****

क्रम सं.	विद्युत स्टेशन/परियोजना का नाम	अधिकृत निजी भूमि	भू-स्वामियों का मुआवजा (रुपए करोड़ में)
1	कटक (44 मेगावाट), (जे एंड के)	18.63 हेक्टेयर	2.23
2	निमो-बेजगो (45 मेगावाट) (जे एंड के)	31.27 हेक्टेयर	6.40
3	उरी-II (240), (जे एंड के)	150.10 हेक्टेयर	27.11
4	किशनगंगा (330 मेगावाट), (जे एंड के)	255.00 हेक्टेयर	271.84
5	सेवा-II (120 मेगावाट), (जे एंड के)	66.10 हेक्टेयर	4.77
6	पारबती-III (520 मेगावाट), (एचपी)	46.00 हेक्टेयर	66.0
7	चमेरा-III (231मेगावाट), (एचपी)	4.23 हेक्टेयर	1.16
8.	पारबती-II (800 मेगावाट), (एचपी)	52.73 हेक्टेयर	24.95
9.	कोटिलीभेल 1ए (195 मेगावाट), (उत्तराखंउ)	18.65 हेक्टेयर	7.17
10	नाथपा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन (1500 मेगावाट), (एचपी).	224.00 हेक्टेयर	27.12
11	रामपुर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (420 मेगावाट), (एचपी).	29.10 हेक्टेयर	24.18
12	नटवर मोरी एचईपी (60 मेगावाट), (यूके)	7.156 हेक्टेयर	11.01
13	बक्सर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (1360 मेगावाट), (बिहार)	436.60 हेक्टेयर	357.00 करोड़ रुपए के मुआवजे की संवितरण प्रक्रिया अभी भी प्रगति पर है। लगभग 90% मुआवजा संवितरित किया गया है।
14	टांडा, (2x660 मेगावाट), (यूपी)	671.99 एकड़	189.84
15	बिल्हौर, (2x660 मेगावाट), (यूपी)	950.52 एकड़	372.23
16	गदरवाड़ा, (2x800 मेगावाट), (यूपी)	1479.48 एकड़	80.25
17	खरगोन, (2x660 मेगावाट), (एमपी)	783.78 एकड़	76.00
18	बरेथी, (4x660 मेगावाट), (एमपी)	2452.13 एकड़	111.87
19	दार्लीपल्ली, (2x800 मेगावाट), (ओडिशा)	1361.60 एकड़	348.73
20	कुडगी, (3x800 मेगावाट), (कर्नाटक)	3351.00 एकड़	248.00
21	लारा, (2x800 मेगावाट), (छत्तीसगढ़)	2383.26 एकड़	292.35
22	टेहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स, उत्तराखंड	15000 परिवार	1526.00
23	विष्णुगढ़ **पीपल**कोटी एचईपी (444 मेगावाट) उत्तराखंड	31.639 हेक्टेयर	20.74
24	खुर्जा एसटीपीपी (1320 मेगावाट), बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश	1360.00 एकड़	387.18
25	चेय्यूर यूएमपीपी (4000 मेगावाट), तमिलनाडु	655.15 एकड़	83.57
26	ओडिशा यूएमपीपी (4000 मेगावाट), ओडिशा	2733.00 एकड़	संवितरण के लिए 620.78 करोड़ रुपए भुगतान किए

****